

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA, LANDHORA, HARIDWAR, UTTARAKHAND

A brief report on the CODE OF CONDUCT of the college:

All the students were made aware of the code of conduct at the time of admission through prospectus and it is also available in the college website. Throughout the year(session) our college follows the following procedures to ensure the ethical and appropriate behaviour of the students adhering to the prescribed code of conduct.

- Regular notices regarding uniform, ID card are displayed on the notice board.
- In the beginning of the year anti-ragging cell and proctoral board take frequent and regular rounds in the campus against menace of the ragging and to make sure students are following prescribed code of conduct and maintaining ethical behavioural environment within the campus.
- CCTV cameras are also available in the campus for monitoring.



32A


Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand


समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 07.03.2018 को महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह में कॉलेज यूनीफार्मों में उपस्थित हों। बिना यूनीफार्म के कॉलेज समारोह में आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।


आदेशानुसार


प्राचार्य


अनुशासन समिति


डॉ. किरन शर्मा (मुख्य अनुशासक) 

डॉ. दीपा अग्रवाल (अनुशासक) 

डॉ. नीशू कुमार (अनुशासक) 

डॉ. संजीव कुमार (अनुशासक) 

डॉ. विनीत कुमार (अनुशासक) 

डॉ. नवीन कुमार (अनुशासक) 

डॉ. तरुण कुमार गुप्ता (अनुशासक)



Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt - Haridwar, Uttarakhand

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उन्हें अगर महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई उनके साथ असभ्य व्यवहार करता है, तो इसकी शिकायत "महिला उत्पीडन निषेध समिति" से कर सकती है।

शिकायत लिखित, स्पष्ट व प्रमाणित होनी चाहिए।

डॉ० दीपा अग्रवाल— प्रभारी

डॉ० किरण शर्मा— सदस्य

डॉ० मीरा चौरसिया— सदस्य

डॉ० ऋचा चौहान— सदस्य



32/10/17

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

आज्ञा से

प्राचार्य



चमन लाल महाविद्यालय

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

सम्बद्ध : श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी (गढ़वाल)

लण्डौरा (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

पत्रांक सं. 01/2020-21

दिनांक 16.12.20

सेवा में,

प्रदीप कुमार जी
गुज्जरवाड़ा, लंडौरा
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

महोदय,


आपको अवगत कराना है कि आपका पुत्र अभिषेक चौधरी बी.कॉम. प्रथम वर्ष का छात्र है। आज दिनांक 16.12.2020 को जब अनुशासन समिति के सदस्य राउण्ड पर महाविद्यालय में घूम रहे थे, तो उस समय आपका पुत्र कक्षा संख्या 01 में शोर मचा रहा था तथा साथ में अन्य छात्र भी थे। उसी समय उनका समझाया गया लेकिन वह नहीं माना।

कुछ समय पश्चात कक्षा संख्या 03 में डॉ. नीशू कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग की कक्षा सुचारु रूप से चल रही थी, उसी समय फि जोर से आवाज होने लगी तभी डॉ. नीशू कुमार कक्षा संख्या 01 में गये तो देख कि अभिषेक चौधरी फिर से शोर मचा रहा था, उसको समझाया गया, लेकिन वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात फिर वापस लौटकर आया और उसने फिर गलत आचरण किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप 03 दिन में महाविद्यालय में संपर्क करें छात्र का आचरण मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप नहीं है। अन्यथा की स्थिति छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

प्रदीप कुमार


प्रभारी
अनुशासन समिति

प्रतिलिपि : प्राचार्य, चमन लाल महाविद्यालय, लंडौरा।



Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar / Uttarakhand

To

Date = 16-12-2020

The principle

Chamanlal PG Degree college Landhaura
Haridwar Uttarakhand.

Sir,

I admit that I have misbehaved in my free period you have already been reported about this by me. Teacher I feel sorry for this misbehaviour. I apologize to you and the teacher. Concerned I promise that in future I will never repeat such an act and do my studies properly. I will devote all my time to study my book and try to avoid the company of naughty boys. I hope you will forgive me this time and give me a chance to improve myself.

Thanking you.

Yours obediently.
Abhishek Chaudhary

8476018387

9897925092

पदी कुमार
32/12



Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt - Haridwar, Uttarakhand

अनुशासन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 20.12.2017 में अपराह्न 02:00 बजे प्राचार्य कक्ष में अनुशासन समिति एवं महिला शिक्षकों की बैठक में महाविद्यालय परिसर में अनुशासन को और सुदृढ़ करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्नोक्त निर्णय लिए गए -

1. अगर कोई छात्र/छात्रा किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी के साथ अमर व्यवाहार करता है तो तत्काल अनुशासन समिति/प्राचार्य को सूचना दी जाएगी।
2. सभी शिक्षकों द्वारा छात्र/छात्राओं को अनुशासन में रहने तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए निरन्तर प्रेरित किया जाएगा।
3. अनुशासन समिति के प्रभारी एवं सगस्त सदस्य प्रतिदिन महाविद्यालय परिसर में नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे।
4. समस्त शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कार्मिक महाविद्यालय में गरिभापूर्ण वेशभूषा में आना सुनिश्चित करेंगे।
5. यूनिफार्म में न आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश द्वार पर रोका जाएगा।
6. महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं के आईडी-कार्ड की आकस्मिक जाँच की जाएगी।
7. सभी कक्षाओं के टॉपर छात्र/छात्राओं की सूची प्राचार्य महोदय को उपलब्ध कराई जाएगी।

31/12/17
21.12.17
प्राचार्य

अनुशासन समिति -

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. डॉ. किरण शर्मा | मुख्य अनुशासक |
| 2. डॉ. दीपा अग्रवाल | अनुशासक |
| 3. डॉ. नीशू कुमार | अनुशासक |
| 4. श्री विनीत कुमार | अनुशासक |
| 5. डॉ. नवीन कुमार | अनुशासक |
| 6. डॉ. तरुण कुमार गुप्ता | अनुशासक |
| 7. डॉ. संजीव कुमार | अनुशासक |

महिला शिक्षक -

- | |
|---------------------|
| 1. डॉ. मीरा चौरसिया |
| 2. डॉ. ऋचा चौहान |
| 3. डॉ. अनिता रानी |
| 4. डॉ. अपर्णा शर्मा |
| 5. डॉ. विधि त्यागी |



Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

वार्षिक रिपोर्ट अनुशासन समिति वर्ष 2017-18

सत्र 2017-18 में महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था हेतु चयनित अनुशासन समिति ने दिनांक 03-07-2018 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस सत्र के लिए अनुशासन समिति के प्रभारी के लिए डॉ. चिरन शर्मा तथा सदस्य के लिए डॉ. दीपा अग्रवाल, डॉ. नीशू कुमार, श्री विनीत कुमार, डॉ. नवीन कुमार, डा. संजीव कुमार तथा डॉ. तरुण कुमार गुप्ता को शामिल किया गया।

अनुशासन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 18-08-2017 को आयोजित की गयी जिसमें सबसे पहले यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक प्रत्येक माह की तृतीय सप्ताह में आयोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्ण सत्र के लिए अनुशासन व्यवस्था को पुनरा रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

महाविद्यालय की वेशभूषा को पूर्ण सख्ती से लागू किया जायेगा। छात्र-छात्राओं को अपर आने जाने के लिए अलग-अलग सीढ़ियों के प्रयोग का निर्देश दिया जायेगा।

महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र परिसर में अनिवार्य होगा। किसी भी छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिका अथवा कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार किये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।

छात्र-छात्राओं को कक्षाओं में सही समय पर पहुंचना अनिवार्य है, छात्र-छात्राओं को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।



Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt - Haryana

प्रथम बैठक के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को सावधानी से लागू करने
 लिए मुख्य द्वार पर ही परिचय पत्र एवं महाविद्यालय की वेबसाइट की
 जाँच पुनिश्चित की गयी। समिति के सभी सदस्यों द्वारा अपने-अपने
 खाली वादन में मुख्य द्वार पर बैठकर अनुशासन व्यवस्था का अवलोकन
 किया गया।

तीसरे वादन के पश्चात अनुशासन समिति ने महाविद्यालय समिति
 का भ्रमण पुनिश्चित किया कि छात्रों ने अपना व्याख्यान तो नहीं
 छोड़ा है अथवा कोर्ड असाधारण तब महाविद्यालय परिसर में तो
 उपस्थित नहीं है।

सभी नियमों का पूरे सज में अनुपालन किया गया। सज में कोर्ड
 अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।

छात्राओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए वार्तालाप
 किया गया तथा उन्हें सम्बन्धित शिक्षा निर्देश दिये गये। छात्राओं
 के प्रति मार्ग में अथवा अन्य के द्वारा किये गये अशुभ व्यवहार
 से सम्बन्धित मामलों का समिति के द्वारा उचित तरीके से निपटारा
 किया गया।



उत्तीर्ण
 Principal
 Chaman Lal Mahavidyalaya
 Landhaura, Distt - Haridwar, Uttarakhand

अनुशासन समिति


प्रभारी

Sham
 १० दिनें २०२१



चमन लाल महाविद्यालय

लंदौरा, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)



विवरणिका

Rs. 400/-

PROSPECTUS 2019-20

महाविद्यालय का शैक्षिक-अकादमिक परिवेश

1. समस्त विषयों में यू.जी.सी. योग्यता वाले शिक्षक कार्यरत।
2. छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई, दोनों पर विशेष ध्यान।
3. सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।
4. विषयों की जरूरत के अनुरूप इंडस्ट्रीज एवं कंपनियों का शैक्षिक भ्रमण।
5. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य-परीक्षण।
6. बाह्य-विशेषज्ञों के नियमित व्याख्यान।
7. कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए सत्र के अंत में विशेष कक्षाओं का आयोजन।
8. आरक्षित वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग के मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान।
9. अभिभावकों की मांग पर छात्राओं के लिए न्यूनतम दर पर बस सुविधा उपलब्ध।
10. अंग्रेजी संभाषण पर विशेष जोर
11. फरवरी-मार्च माह में टेली एकाउंटिंग, संस्कृत संभाषण, अंग्रेजी संभाषण, ब्यूटीशियन, फैशन डिजायनिंग, अनुवाद-रचनात्मक लेखन आदि पर विशेष शिविर।
12. इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए खेल प्रशिक्षक की सुविधा।
13. नियमित कक्षाएं, प्रयोगिक पक्ष पर जोर।
14. उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, उत्कृष्ट शिक्षण एवं समग्र व्यक्तित्व निर्माण।
15. पढ़ाई में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए "स्मार्ट क्लास" की सुविधा।

आचार संहिता

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनहीनता एवं दुर्यवहार समझा जायेगा।

1. परिसर में किसी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी या अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणोत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड चार में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय की व्यवस्था के किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियाँ, पैम्फलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनाएं आदि सम्मिलित हैं का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण करना।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषीय आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो महाविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्यवहार अथवा यौन उत्पीड़न सम्बंधी कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा अन्य कोई भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
17. अनधिकृत रूप से पैसा एकत्र करना।
18. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
19. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
20. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
21. रैगिंग करने संबंधी अथवा उसमें लिप्त होने संबंधी कोई कृत्य।
22. छात्रों को परिसर में मोबाइल फोन अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

आवश्यक निर्देश

प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय विवरणिका में दिये गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा उनका अनुपालन करें।

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2. महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है, यदि कोई रैगिंग करता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. महाविद्यालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र लाना प्रतिबंधित है। यह कानूनी अपराध भी है।
4. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा।
5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति अथवा अनुशासन समिति की संस्तुति पर किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं या प्रवेश देने हेतु मना कर सकते हैं।
6. कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए क्यों न आया हो, महाविद्यालय वेशभूषा में आना अनिवार्य है।
7. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड सम्भव है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
8. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला निषेध है इनका सेवन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई भी संभव है।
9. महाविद्यालय में अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा की स्थिति में वाहन की सुरक्षा महाविद्यालय की नहीं होगी।
10. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाये जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
11. कोई भी छात्र/छात्रा किसी दूसरे छात्र/छात्रा पर धर्म जाति संबंधी टीका टिप्पणी न करें। ऐसा करना कानूनी अपराध हो सकता है।
12. सभी छात्र-छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। यह कभी भी मांगा जा सकता है।
13. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित दिन में अपनी पुस्तकें निर्गत आगत करवायें। पुस्तकें निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
14. छात्र-छात्राएँ अपनी कक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त इधर-उधर न घूमें।
15. छात्राओं के लिए भवन की पूर्वी सीढ़ियों एवं छात्रों के लिए पश्चिमी सीढ़ियों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीढ़ियों का ही प्रयोग किया जाये।
16. महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं द्वारा फोन प्रयोग करना पूर्ण प्रतिबंधित है।
17. प्रबंध समिति एवं प्राचार्य कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें।
18. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र-छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में

तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

19. किसी भी प्रकार का धन जो आपने महाविद्यालय में जमा किया है, उसकी रसीद तुरन्त अवश्य प्राप्त कर लें।
20. महाविद्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।
21. निर्धारित कार्मिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को शुल्क आदि न दें। महाविद्यालय की ओर से शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।
22. किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लेकर सीधे प्रबंध समिति/प्राचार्य कक्ष में प्रवेश न करें। संबंधित शिक्षक/कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।
23. सभी छात्र एवं पुरुष कार्मिक छात्राओं एवं महिला कार्मिकों के साथ व्यवहार में मर्यादा का पालन करेंगे। अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।
24. प्रवेश के समय दिया गया शुल्क प्रवेश स्वैच्छिक निरस्त कराने या महाविद्यालय द्वारा किसी कारण से निरस्त करने के बाद वापिस नहीं होगा।

अभिभावकों के लिए

यदि आपका पुत्र/पुत्री किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि किसी आकस्मिक/गंभीर स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकें।



एण्टी रैगिंग

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियन्त्रण हेतु मा. सुप्रीम कोर्ट एवं यू. जी. सी. के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रैगिंग में पकड़े जाने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है -

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोकें रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
7. छात्रावास से निष्कासन।
8. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
9. रु. 25 हजार तक का जुर्माना।
10. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोट : छात्र/छात्रा एण्टी रैगिंग का फार्म भरकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करा दें।

एण्टी रैगिंग फार्म हेतु नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

<https://antiragging.in>

National antiragging Helpline (UGC crisis hotline)

24x7 Toll free Number 1800-180-5522

(helpline@antiragging.in)

शपथ पत्र का प्रारूप

(छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं भरा जायेगा)

1. मैं पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती
रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को
भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतः समझ लिया है।
2. मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 की
प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूँ—
 - ★ मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊंगा/होऊंगी जो रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
 - ★ मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी तथा उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित न
करूंगा/करूंगी।
 - ★ मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगा/करूंगी अथवा अन्य कोई क्षति न
पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी।

हस्ताक्षर दिन माह वर्ष

तमसो माँ ज्योतिर्गमय

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिशनर

Index

1. Introduction	1
2. Vision and Mission	3
3. Preface	4
4. Code of Conduct For Students	6
5. Code of Conduct For Teaching Staff	8
6. Code of Conduct For Principal	10
7. Code of Conduct For Administrative / Support Staff	12
8. Anti-Ragging Committee	14




Principal

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

1.

Introduction

Chamanlal Mahavidyalaya, Landhaura was established in 2013 by Chaman Lal Educational Trust and got the Government aided status by State Government of Uttarakhand in 2017. CLM is affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Tehri (Garhwal), Uttarakhand. The core objective of the college is to provide quality education and opportunity for overall growth of all aspiring youth of the rural area. Moreover, the goal is to develop strong conceptual understanding among the students about the subject to enhance their own reasoning ability and put them in a process of self-learning. It also enables the students and faculties to extend their support for providing the special care to villagers of surrounding area. We have UG and PG in Science, Arts, Commerce streams persist at our college. There are 29 faculty members of different streams and more than 1500 students. Shri Ishwar Chand Sharma, founder of Chaman Lal Mahavidyalaya has drawn inspiration from his father late Shri Chaman Lal Sharma, a well-known educationalist and a social worker. In this noble cause Shri Ram Kumar Sharma and Shri Arun Kumar Sharma, the worthy sons of the college founder dedicated themselves and have become




Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

light of inspiration and strength to this venture.

College has been recognized under 12-B of UGC. Though situated in a rural area, college earned a reputation for its academic and excellence in district and state as well. Our students are proving themselves through cracking competitive exams and able to get prestigious positions.

We have well qualified and devoted faculty staff members who work tirelessly with a complete team spirit and a sense of belonging. This culminates into a rich learning environment that is open, respectful, caring and safe. Their continuous efforts have brought many laurels to our credit in the era of academics and other co-curricular areas. College makes all efforts to nurture academics talent of students in a disciplined environment.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand



Principal

**Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand**

2.

Vision and Mission

VISION

The college goals at all-round progress of the students by ascertaining learning opportunities and value based education along with special focus on empowering girls by imbibing entrepreneurship based skills.

MISSION

- ❖ To create a better free universal learning environment for the academic, physical and intellectual development of the students.
- ❖ To plan education training in harmony with the National Socio-cultural value, promote academic and teaching erudition activities consequently.
- ❖ To empower girls by improving their proficiencies and prospective through carrier oriented programs and events.
- ❖ Developing further infrastructural facilities by promoting E-learning through a view to technology development.
- ❖ To collaborate with reputed educational institutions for enhancement and enrichment of knowledge and skills.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand



32A
Principal

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

3.

Preface

*Greetings from Chamanlal Mahavidyalaya,
Landhaura, Haridwar(UK)*


*"By education, I mean an all-round drawing of the best
in child and man in body, mind and spirit"*
- Mahatma Gandhi

Education is the process of facilitating learning, the acquisition of knowledge, skills, value, morals and personal development. All the teachers and other staff members are working tirelessly as a team for the welfare of our students and the institution.

The present "Handbook of Code of Conduct" of Chaman Lal Mahavidyalaya is aimed to guide the college incumbents adhering to the basic norms that has been laid down in the 'Handbook' towards ensuring best and healthy academic environment and discipline within the college staff members and students.

It is hereby desired that the various provisions, as laid down under the 'Code' be strictly followed by the faculties, students and staff of the college towards ensuring positive and fruitful academic outcome and overall enhancement of college academics.




Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

4.

Code of Conduct For Students

Students are expected to maintain the highest standards of discipline and dignity in behavior inside as well as outside of the campus. They shall abide by the rules and regulations of the college and should behave in a proper manner that is commensurate with the discipline and core values of vision and mission of the college. The students are expected to strictly obey the following sets of rules in order to maintain discipline in the premises.

- ❖ Student should be punctual in class with at least 75% attendance in the lectures and labs of the subject.
- ❖ Students should follow the dress code of the institution strictly.
- ❖ Entry in the campus without ID card is strictly prohibited.
- ❖ Students should park their vehicles in the allotted parking space.
- ❖ Students must strictly follow the rules and regulations of the institution. Any behavior obstructing teaching, research, administration, other proceedings or



391
Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

activities in the campus are entitled for punishment.

- ❖ Students are expected to spend their time judiciously in library or at the allotted spaces for their leisure time.
- ❖ Ragging is completely banned in and outside the campus.
- ❖ Students are expected to return and re-issue the books that are issued from the library within the stipulated time.
- ❖ Students are not permitted to record audio/video lectures in classrooms or other activities without prior permission.
- ❖ Students are expected to volunteer help in seminars, conferences and other college related activities.
- ❖ Cheating or copying during exams or using any kind of unfair means during exams will be taken on serious note.
- ❖ Students are expected to keep college clean by using dustbins and share their suggestions with teachers / principal for the betterment of the institution.
- ❖ Save water by turning off the taps and lights when not in use.
- ❖ Enroll themselves in co-curricular and extra-curricular activities like debate, speech, group discussion, quiz, sports, cultural activities, public awareness programmes, NSS, NCC, Rovers and Rangers etc.
- ❖ Carrying or use of any weapon, harmful chemicals, banned drugs, explosives or fireworks is strictly prohibited inside the college campus.
- ❖ Students should not scribble on walls, doors and furniture.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand



[Signature]
Principal

Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

5.

Code of Conduct For Teaching Staff

A Teacher is a person who help students to acquire knowledge, competence or virtue. Teachers are the pillar of strength, true mentors and guiding force of the student's lives. Students are deeply affected by teachers' love, affection, character, competence, as well as moral commitment. Teaching is considered to be the one of the most noble profession in the world.

This code of conduct sets the parameters of professional behavior for teachers in their relationship with students, colleagues and other stakeholders. Pursuance of professional code of conduct also demands that preference should be given to duty over personal responsibilities and unless there is sufficient cause to do otherwise.

- ❖ Teacher should conduct in a responsible manner in the development of government policies affecting education.

❖ Stay in campus during duty hours.




Principal

Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

- ❖ Respect and maintain hierarchy in the administration.
- ❖ Seek to make professional growth continuous through study and research.
- ❖ Strictly follow the directions mentioned in the leave proforma while applying for the leave.
- ❖ Not to discriminate on grounds of ability, race, color, and creed.
- ❖ Should obey the duties assigned by the Principal time-to-time.
- ❖ Report on duty at least 10 minutes in advance.
- ❖ A graceful dress code suitable to the dignity of the profession has to be followed.
- ❖ Teachers are not allowed to take private tuitions as it negatively impacts the quality of teaching.
- ❖ Teacher should encourage his/her students to express their viewpoint freely.
- ❖ Seek to make professional growth continuous through study and research.
- ❖ Treat non-teaching staff as colleagues and equal partners.
- ❖ Work to improve education in the community and to strengthen the community's moral, spiritual and intellectual life.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand



39A
Principal

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

6.


Code of Conduct For Principal

The head of the institution/Principal has many roles to play and to be ready for multilateral responsibilities of an administrator, supervisor, mediator, defender, motivator. Principal as the head of the institution is solely responsible for addressing and resolving all issues concerned with the stakeholders of education. The principal's main focus should be to develop and maintain effective educational programme within his/her college.

Principals are holding high ethical values hence are required to adhere a strict code of conduct and shall be responsible for:

- ❖ Chalk out a policy and plan to execute vision and mission.
- ❖ Keep the co-ordination in all college works.
- ❖ Promote innovative and research work culture among the teachers for healthy research-based educational environment.
- ❖ Supervision of overall examinations.




Principal

Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

- ❖ Receipt, expenditure and maintenance of the true and correct accounts.
- ❖ Admission of students and to maintain discipline in the institute.
- ❖ Maintenance of self-assessment reports of the teachers and their service books.
- ❖ To maintain alertness among students and teachers regarding ragging and sexual harassment.
- ❖ To uphold, keep, and enforce discipline in the behavioral manifestation of all the stakeholders of the institution and thus maintain campus-tranquility required for academics.
- ❖ Prior sanction of leave from sanctioning authority required.
- ❖ For enriching all academic activities Principal should put best efforts to provide adequate infrastructure and financial support for the college.
- ❖ Head of the institution should also encourage and provide facilities to the faculty members to take up research projects, seminars, symposia, conference, publish papers etc.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand



Principal

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

7.

Code of Conduct For Administrative / Support Staff

Being the employee of an educational institution all the Administrative and Support staff members are expected to display highest possible standards of professional behavior on the basis of job performance, workplace, relationship with students as it is highly required for the smooth functioning of the institution.

Expected code of ethics are:

- ❖ They should be punctual and sensitive for the smooth functioning of the institution.
- ❖ The support staff should acquaint themselves with the college policies and adhere to their best ability.
- ❖ They should co-operate with their colleagues, providing support, help and guidance as required by Head of the Institution, department and other academic staff.

They have to maintain the adequate level of



394
Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

confidentiality with respect to student and staff records and other sensitive matters.

- ❖ Strictly follow the directions mentioned in the leave proforma while applying for the leave.
- ❖ Respect the rights and opinion of others.
- ❖ Non-Teaching staff is bound to follow the leave rules. Leave application should be submitted in advance mentioning the nature and duration of leave and can be availed only after the approval of sanctioning authority.
- ❖ Being fit for work i.e. not adversely influenced by drugs, alcohol etc. during duty hours.
- ❖ They should perform their duties sincerely, honestly, diligently as well as with accountability. There should be no falsification/distortion of official documents entrusted to them.
- ❖ Must follow the SOP of the institution.

Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand




Principal

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

8.

Anti-Ragging Committee

All the educational institutions should strictly follow the directions of Honorable Supreme Court of India. It is clearly mentioned in the regulation that RAGGING is totally banned. Ragging is a disorderly conduct by a student or a group whether by words spoken, physical teasing or misbehave in handling freshers.


- ❖ Our institution has a coherent and an effective anti-ragging policy.
- ❖ The anti-ragging committee constituted under the guidance of Principal and faculties examine all complaints of anti-ragging and come out with recommendation based on the nature of incident.

Punishment for Violating Anti-Ragging Rules

In case of violating the rules of anti-ragging , following punishments may be given:

- ❖ Suspension from attending classes and other academic activities for a certain period.




Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

14

- ❖ Withholding /withdrawing scholarship.
- ❖ Cancellation of admission.
- ❖ Debarring from appearing in any test /examination.
- ❖ First Information report (FIR) can be filed depending upon seriousness/intensity of the crime.

Details of Online Anti-Ragging Form

<https://antiragging.in>

National antiragging Helpline (crisis hotline)

Toll free number: 1800-180-5522

(helpline@antiragging.in)



Chamanlal Mahavidyalaya Landhaura, Haridwar, Uttarakhand

Principal

**Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand**